भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 329

(दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए)

निजी एफएम चैनलों के लिए ई-नीलामी

329. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पालक्काड़ सहित देश भर के 234 प्रमुख शहरों में 784.87 करोड़ रुपए के अनुमानित आरक्षित मूल्य से 730 निजी एफएम चैनलों की स्थापना करने के लिए ई-नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एफएम चैनल का वार्षिक लाइसेंस शुल्क सकल राजस्व का 4 प्रतिशत वसूलने की स्वीकृति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस कदम से उन स्थानों पर एफएम रेडियो की अपूरित मांग पूरी हो जाएगी जिन्हें अभी तक कवर नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल के पालक्काड़ सहित 234 नए शहरों में 784.87 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित आरक्षित मूल्य से 730 प्राइवेट एफएम चैनलों की ई-नीलामी के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है। इसका विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर उपलब्ध है। इससे विविध और स्थानीय सामग्री तक पहुंच बढ़ेगी, सामग्री निर्माताओं के लिए अवसरों में वृद्धि होगी जिससे सृजनात्मकता और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय भाषाओं के साथ-साथ संस्कृतियों का भी संवर्धन होगा।

मंत्रिमंडल ने 234 नए अछूते शहरों के लिए जीएसटी को छोड़कर सकल राजस्व का 4 प्रतिशत वार्षिक लाइसेंस शुल्क लगाने को भी अनुमोदित कर दिया है। इससे नए शहरों में एफएम स्टेशनों की परिचालन लागत को कम करने में मदद मिलेगी और यह कदम 234 अछूते शहरों/कस्बों में रेडियो कवरेज को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा।

*****